नकल आदेश दि० 9/03/2010 द्वारा SDM एटा, वाद नं० 1765/2010 अन्तर्गत धारा 143, श्रीमती मोती माला ग्रामोद्योग सेवा निकेतन समिति, सकीट, एटा

न्यायालय उपजिलाधिकारी एटा

वाद सं0 1765/2010 धारा – 143 ज0वि0अधिनियम

मौजा – इशारा सकीट परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा

पंकज जैन बनाम सरकार

निर्णय

प्रार्थी पंकज जैन पुत्र श्री जगदीश जैन – 1 द गंगा मंदिर एटा, तहसील व जिला एटा श्रीमती मोतीमाला ग्रामोध्योग सेवा निकेतन समिति, सकीट जिला एटा ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि भूमि में गाटा संख्या 1397स/0.810 हैक्टेयर स्थित ग्राम भगीपुर, सकीट तह0 एटा में है उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य कुक्कुट पालन मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। बल्कि भूमि अकृषक भूमि के रूप में प्रयोग की जा रही है। प्रार्थी ने विवादित भूमि गाटा संख्या 1397स/0.810 हैक्टेयर को अकृषक भूमि घोषित किये जाने एवं अभिलेखों में अमल दरागद किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित गाटा से सम्बन्धित उद्वरण खतौनी भी दाखिल की है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार एटा से जाँच करायी गयी। तहसीलदार एटा ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 16–02–2010 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मोजा भगीपुर, की गाटा संख्या 1397स/0.810 हैक्टेयर लगानी 08–00 रुपया में वर्तमान में कोई कृषि कार्य बागवानी कुक्कुट पालन मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। बल्कि भूमि अकृषक भूमि के रूप में प्रयोग की जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार एटा ने विवादित भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी है। आख्या के साथ विवादित गाटा से सम्बन्धित खसरा नक्शा नजरी एवं फोटो चित्र भी दाखिल किये हैं।

आख्या प्राप्त होने पर गांव सभा को सूचना दी गयी सूचना उपरान्त श्रीमती रतनो प्रधान भगीपुर, सकीट ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं का कथन अंकित कराया जिसमें उन्होंने विवादित भूमि में मौके पर कोई कार्य न होने तथा भूमि अकृषक भूमि के रूप में प्रयोग किये जाने का कथन स्वीकार किया है। यह भी तथ्य स्वीकार किया है कि अकृषक भूमि घोषित होने में गांवसभा को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का कथन अंकित कराया जिसमें उन्होंने भूमि में विद्यालय के प्रयोजन हेतु होने का कथन स्वीकार किया है। यह भी कथन स्वीकार किया है कि विवादित भूमि से सम्बन्धित किसी भी न्यायलय में कोई याद विचाराधीन नहीं है। तहसीलदार एटा ने भी अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

TRUE COPY
Reader
S.D.M., Etah

मैंने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया तथा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि उक्त भूमि में मौके पर कोई कृषि कार्य कुक्कुट पालन मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। तथा भूमि विद्यालय के प्रयोजनार्थ ही प्रयोग में लायी जा रही है अन्य किसी प्रयोग में नहीं विवादित भूमि से सम्बन्धित किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। विवादित भूमि को अकृषक भूमि घोषित होने में गांवसभा/अन्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार एटा ने भी उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार एटा की आख्या दिनांक 16–02–2010 स्वीकार के योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार एटा की आख्या दिनांक 16–02–2010 स्वीकार की जाती है तथा उक्त आख्या के आधार पर प्रार्थी का अकृषक भूमि घोषित विषयक प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा भगीपुर, सकीट तह0 एटा की भूमि की गाटा संख्या 1397स/0.810 हैक्टेयर लगानी 08–00 रुपया को कृषि की प्रति अमल दारमद हेतु तहसीलदार एटा को भेजी जाय तथा एक प्रति अनुपालन हेतु उपनिबन्धक एटा को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जाय।

दिनांक: 09/03/2010

उपजिलाधिकारी
एटा

TRUE COPY
Reader
S.D.M., Etah